राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH Serving the nation since 1911
NIIRNCD NATIONAL INSTITUTE FOR IMPLEMENTATION RESEARCH ON NON-COMMUNICABLE DISEASES

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases
DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

संख्या : D/03/NIIRNCD/RoutineM,O&C/2023-24/5386. दिनांक : 29.09.2025

कार्यालय आदेश

विषय: सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा समिति का गठन – संबंध में

***

इस विषय पर पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए, तथा संस्थान में सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, निम्नलिखित समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	भूमिका / उत्तरदायित्व
1	डॉ. सुरेश यादव, वैज्ञानिक–सी	अध्यक्ष
2	डॉ. अनिल पुरोहित, टी.ओ.–सी	सदस्य एवं सुरक्षा प्रभारी
3	श्री के. एल. शर्मा, एमएसडब्ल्यू	सदस्य
4	श्री चेतन सिंह गोहिल, तकनीशियन–I	सदस्य
5	श्री मयूर संखला, तकनीशियन–I	सदस्य सचिव

2. समिति के संदर्भ की शर्तें:

i. सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा पर एक मानक कार्यविधि (SOP) तैयार कर इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुमोदन हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

ii. एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करना।

iii. निविदा दस्तावेज़, नियम एवं शर्तों की समीक्षा कर आंतरिक परीक्षण के बाद सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।

iv. सुरक्षा पर्यवेक्षक के साथ मासिक बैठकें आयोजित कर रजिस्टर, अभिलेख एवं शिकायतों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना; बैठक का कार्यसूची एवं कार्यवृत्त अभिलेखित करना।

v. जोखिम मूल्यांकन एवं आंतरिक अग्नि सुरक्षा ऑडिट समय-समय पर करना।

vi. अग्निशमन उपकरण एवं आपातकालीन प्रणालियों का उचित रख-रखाव, परीक्षण एवं प्रमाणन सुनिश्चित करना।

vii. प्रति वर्ष कम से कम एक बार मॉक ड्रिल (सुरक्षा उल्लंघन/अग्नि निकासी) आयोजित कर उसका परिणाम एवं सुधार अभिलेखित करना।

viii. पुलिस, अग्निशमन, नगरपालिका एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा मामलों में, विशेषकर आपात स्थितियों में, समन्वय करना।

ix. प्रत्येक तिमाही में निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें सुधार, कमियाँ एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण हो।

x. सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य मामला जो निदेशक द्वारा संदर्भित किया जाए।

न्यू पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान – 342005, (भारत)
New Pali Road, Jodhpur, Rajasthan – 342005 (INDIA)
Phone: 0291-2722403 I Fax: 0291-2720618
Email: director-niirncd@icmr.gov.in
Website: niircd.icmr.org.in

3. सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा प्रभारी के कर्तव्य:

i. प्रतिदिन सुरक्षा कर्मियों की निगरानी, उनकी ड्यूटी रोस्टर एवं अनुशासन सुनिश्चित करना।

ii. परिसर, कर्मचारियों, आगंतुकों, संपत्तियों एवं अवसंरचना की 24×7 सुरक्षा सुनिश्चित करना।

iii. प्रवेश/निर्गमन रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, सामग्री आवागमन रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का सही रख-रखाव सुनिश्चित करना।

iv. सीसीटीवी निगरानी, अलार्म एवं अन्य सुरक्षा/अग्नि पहचान अवसंरचना की नियमित जाँच एवं रख-रखाव की निगरानी करना।

v. किसी भी सुरक्षा उल्लंघन, घटना, अग्नि-जोखिम या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को देना।

vi. स्टाफ वाहनों हेतु प्रवेश पास/बैज के निर्गमन को विनियमित करना। इस हेतु एक प्रपत्र तैयार कर सभी स्थायी एवं परियोजना कर्मियों में प्रेषित किया जाए ताकि प्रवेश बैज निर्गत किए जा सकें।

vii. सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों, श्रमिकों एवं उनके वाहनों के प्रवेश की उचित दस्तावेज़ीकरण एवं समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करना।

viii. सुरक्षा कर्मियों को निदेशक कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का तुरंत अनुपालन कराना।

ix. सक्षम प्राधिकारी / समिति द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य का निर्वहन करना।

4. प्रभारी की अनुपस्थिति में यह दायित्व श्री के. एल. शर्मा, एमएसडब्ल्यू द्वारा देखा जाएगा। यदि दोनों अनुपस्थित हों, तो अध्यक्ष समिति के किसी सदस्य को प्रभारी नामित करेंगे।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि आदेश का संज्ञान लें एवं कठोर अनुपालन सुनिश्चित करें।

पंकज भारद्वाज 29/09/25

प्रो. (डॉ.) पंकज भारद्वाज

निदेशक

प्रो. (डॉ.) पंकज भारद्वाज
Prof. (Dr.) Pankaj Bhardwaj
निदेशक/Director
राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur

प्रतिलिपि सूचना हेतु प्रेषित है:

1. समिति के सभी सदस्य (उपरोक्त अनुसार)
2. सभी स्थायी एवं परियोजना कार्मिक, आईसीएमआर–एनआईआईआरएनसीडी
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / भंडार प्रभारी
4. तकनीकी एवं अनुरक्षण (Maintenance) स्टाफ
5. डॉ. रमेश कुमार हुडा, वैज्ञानिक–सी एवं सुरक्षा प्रभारी – *कृपया सभी संबंधित दस्तावेज़, रजिस्टर, सीसीटीवी एक्सेस एवं लॉग तुरंत सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा प्रभारी को सुपुर्द करें।*
6. सुरक्षा एजेंसी पर्यवेक्षक – अनुपालन हेतु
7. आईटी सेल – संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
8. प्रशासन अनुभाग / संबंधित फाइल

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH Serving the nation since 1911
NIIRNCD NATIONAL INSTITUTE FOR IMPLEMENTATION RESEARCH ON NON-COMMUNICABLE DISEASES

ICMR- National Institute for Implementation Reserach on Non-Communicable Diseases
DHR- Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

No. D/03/NIIRNCD/RoutineM,O&C/2023-24 /53 Pb. **Date: 29.09.2025**

OFFICE ORDER

Subject: Constitution of Security & Fire Safety Committee — Reg.

***

In supersession of all earlier orders on the subject, and in view of the need to strengthen both security and fire safety measures at the Institute, the following Committee is hereby constituted with immediate effect.

Sl.No.	Name & Designation	Role / Responsibility
1.	Dr. Suresh Yadav, Scientist-C	Chairperson
2.	Dr. Anil Purohit, TO-C	Member & Security In-charge
3.	Shri K. L. Sharma, MSW	Member
4.	Shri Chetan Singh Gohil, Technician-I (ES)	Member
5.	Shri Mayur Sankhala, Technician-I	Member Secretary

2. Terms of Reference of the Committee:

i. Prepare an SOP on security and fire safety for all Institute premises and submit the draft within 15 days of this order for approval of the undersigned.

ii. Monitor the functioning of security staff deployed through the agency.

iii. Review tender documents, terms and conditions for renewal or fresh contracts and submit them to the Competent Authority for approval after internal scrutiny.

iv. Hold monthly meetings with the security supervisor to review registers, records, and complaints, and suggest corrective measures; agenda and minutes must be recorded.

v. Conduct risk assessments and internal fire safety audits periodically.

vi. Ensure firefighting equipment and emergency systems are properly maintained, tested, and certified.

vii. Organize at least one annual mock drill (security breach/fire evacuation) and record outcomes and improvements.

viii. Coordinate with police, fire, municipal and other authorities on security and fire safety matters, including emergencies.

ix. Submit quarterly reports to the Director highlighting improvements, deficiencies, and proposed actions.

x. Any other matter concerning security or fire safety as may be referred by the Director.

3. **Duties of the Security & Fire Safety In-Charge:**

i. Supervising day-to-day security personnel, their deployment, duty rosters, and discipline.

ii. Ensuring 24×7 safety of Institute premises, staff, visitors, assets, and infrastructure.

iii. Ensuring accurate entry/exit registers, visitor logs, material movement registers, and related records maintained by security staff.

iv. Overseeing regular inspection and maintenance of CCTV surveillance, alarms and other security/fire detection infrastructure.

v. Promptly reporting any breach, incident, fire hazard, or suspicious activity to the undersigned.

vi. Regulate the issuance of entry passes/badges for staff vehicles. A prescribed form should be prepared and circulated to all permanent and project staff for the issuance of entry badges.

vii. Ensure proper documentation and timely entry of CPWD contractors, workers, and vehicles without any delay.

viii. Ensure security staff immediately comply with instructions issued by the Director's office without delay.

ix. Perform any other duties assigned by the Competent Authority / Committee.

4. In the absence of the In-charge, duties shall be looked after by Shri K. L. Sharma, MSW. If both are unavailable, the Chairperson shall nominate a Committee member to act as In-charge.

5. This order comes into force with immediate effect and remains valid until further orders. All concerned are requested to take note and ensure strict compliance.

Pankaj Bhardwaj 29/09/25

Prof. (Dr.) Pankaj Bhardwaj
Director

प्रो. (डॉ.) पंकज भारद्वाज
Prof. (Dr.) Pankaj Bhardwaj
निदेशक/Director
राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
ICMR-National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur

Copy to:

1. All Members of the Committee
2. All Permanent & Project Staff, ICMR–NIIRNCD
3. Sr. AO / ACO / Store In-charge
4. Technical & Maintenance Staff
5. Dr. Ramesh Kumar Huda, Scientist-C and Security In-charge – *Hand over charge all relevant documents, registers, CCTV access and logs to Security & Fire safety In-charge immediately.*
6. Security Agency Supervisor – for compliance.
7. IT Cell — for uploading on Institute website
8. Administration Section / Concerned File